राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांकः—एफ.1(13)वित्त/राजस्व/2012 दिनांकः—10.05.2019

समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी,

विषयः— त्रैमासिक अर्द्धशासकीय पत्र अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त को लिखने बाबत्।

संदर्भः—वित्त विभाग का ज्ञापन संख्या F.1(4)FD/GF&AR/2006, दिनांक 04.02.2019 व अति० मुख्य सचिव, की अध्यक्षता में वित्तीय सलाहकारों/मुख्य लेखाधिकारियों की मीटिंगों के क्रम में

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित क्रम में लेख है कि सामान्य निर्देश एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठको में **विभाग के वरिष्ठतम लेखा सेवा** के अधिकारियों को विभाग के वित्तीय प्रबंधन, सुधारो, सुझावों, प्रयासों, वित्तीय अनियमितताओं एवं विभाग से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण बिन्दु जिनके बारे में अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त को ध्यान में लाया जाना आवश्यक समझा जावे आदि के बारे में उल्लेख करते हुए प्रत्येक त्रैमास के अन्त में एक अर्द्धशासकीय पत्र अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय को लिखे जाने के निर्देश प्रदान किए गए है।

मार्च माह को समाप्त होने वाले त्रैमास के पश्चात् भी कई अधिकारियों से उपर्युक्त निर्देशों की पालना में संदर्भित आशय के अर्द्धशासकीय पत्र आदिनांक प्राप्त नही हुए है।

अतः निर्देशानुसार निवेदन है कि मार्च माह को समाप्त हुए त्रैमास से संबधित अर्द्धशासकीय पत्र शीघ्र प्रेषित किए जाए एवं इसके पश्चात् प्रत्येक त्रैमास के अन्त में भी नियमित प्रक्रिया से भिजवाये जाने का श्रम करावें।

(अपूर्व जोशी)
संयुक्त शासन सचिव